



भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY
साप्ताहिक
WEEKLY

सं. 22]
No. 22]

नई दिल्ली, जून 4—जून 10, 2017, शनिवार/ज्येष्ठ 14—ज्येष्ठ 20, 1939
NEW DELHI, JUNE 4—JUNE 10, 2017, SATURDAY/JYAISTHA 14—JYAISTHA 20, 1939

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह पुथक संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा विधि के अंतर्गत बनाए गए और जारी किए गए साधारण सांविधिक नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उप-नियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (Including Orders, Bye-laws etc. of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administrations of Union Territories)

कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय
(पेंशन और पेंशनभोगी कल्याण विभाग)

नई दिल्ली, 2 जून, 2015

सा.का.नि. 203.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 148 के खंड (5) के साथ पठित अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में सेवा कर रहे व्यक्तियों के संबंध में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से परामर्श करने के पश्चात् केन्द्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1939 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

- (1) इन नियमों को केन्द्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) संशोधन नियम, 2015 कहा जा सकता है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- केन्द्रीय सिविल सेवा (असाधारण पेंशन) नियम, 1939 की अनुसूची IV में, क्रमशः फॉर्म 'क' और फॉर्म 'ख' के स्थान पर निम्नलिखित फॉर्म रखे जाएंगे, अर्थात् :-

3416 GI/2017

(883)

स्थापना अनुभाग

संख्या 594--


दिनांक 03/07/17

9

604
3/07/17

OSCESTH
3/7/17

3/7/17



			<p>service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer prior to the 1st January, 2016 (the date from which the revised pay structure based on the Seventh Central Pay Commission recommendations has been extended) shall be deemed to be service rendered in the corresponding level in the pay matrix extended based on the recommendations of the Commission.</p>	
--	--	--	---	--

[F. No. A-12018/17/2015-EPI]

B. L. MEENA, Under Secy.

उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

(खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग)

नई दिल्ली, 2 जून, 2017

सा.का.नि. 212.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और राष्ट्रीय चीनी संस्थान, कानपुर (नक्शानवीस) भर्ती नियम, 2003 को जहाँ तक उनका सम्बंध नक्शानवीस श्रेणी-III पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) के अधीन, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर में नक्शानवीस के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

- संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.**—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर, (नक्शानवीस) भर्ती नियम, 2017 है।
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
- पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर.** पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।
- भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि.**—भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।
- निरर्हता.**—वह व्यक्ति -
(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या
(ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए है किसी व्यक्ति से विवाह किया है, उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:
परंतु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।
- शिथिल करने की शक्ति.**—जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. **व्यावृत्ति.**—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केंद्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन में मैट्रिक्स लेवल
(1)	(2)	(3)	(4)
नक्शाचित्री	2*(2017) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग' अराजपत्रित, अनुसूचितचित्री	स्तर-4 (25500 से 81100 रुपए)

चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक एवं अन्य अर्हताएं
(5)	(6)	(7)
लागू नहीं होता	18 से 27 वर्ष के बीच (केंद्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गये अनुदेशों या आदेशों के अनुसार केंद्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए चालीस वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।) टिप्पण 1: आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (त कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उप-खण्ड, अंदमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।) टिप्पण 2: रोजगार कार्यालय के माध्यम से आने वाले अभ्यर्थियों कि दशा में आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।	अनिवार्य: 1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण। 2. यांत्रिक इंजीनियरी में डिप्लोमा। टिप्पण 1 : अर्हताएं, अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है। टिप्पण 2 : अनुभव संबंधी अर्हता उन कारणों के लिए जो लेखबद्ध किए जाए सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर सक्षम प्राधिकारी की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

क्या सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु-सीमा और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले पदों की प्रतिशतता
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	सीधी भर्ती हेतु दो वर्ष	सीधे भर्ती द्वारा। टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्वानांतरण या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किसी अन्य परिस्थितियों में एक वर्ष या इससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियां केंद्रीय सरकार के ऐसे कर्मचारियों में से प्रतिनियुक्ति के आधार पर भरी जा सकेंगी जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और जिनके पास सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए स्तर (7) के अधीन विहित अर्हताएं हैं।

प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनमें प्रोन्नति अथवा प्रतिनियुक्ति अथवा आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना क्या है ?
(11)	(12)
लागू नहीं होता	<p>विभागीय पुष्टिकरण समिति (पुष्टि पर विचार करने हेतु) निम्नलिखित में मिलकर बनेगी:-</p> <p>1. वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर - अध्यक्ष</p> <p>2. किसी भी शाखा के सहायक आचार्य, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर - सदस्य</p> <p>3. तकनीकी अधिकारी या कनिष्ठ तकनीकी अधिकारी, राष्ट्रीय शर्करा संस्थान, कानपुर - सदस्य</p>

वे परिस्थितियां जिनमें संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लेना आवश्यक है।
(13)
लागू नहीं होता।

[फा. सं. ए-12018/19/2016-एस.ए.]

राजीव महेन्द्र, उप सचिव

MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Food and Public Distribution)

New Delhi, the 2nd June, 2017

G.S.R. 212.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the National Sugar Institute, Kanpur (Draftsmen) Recruitment Rules, 2003, in so far as it relates to the post of Draftsman Grade-III, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Draughtsman, in the National Sugar Institute, Kanpur under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution (Department of Food and Public Distribution), namely :-

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the National Sugar Institute, Kanpur (Draughtsman) Recruitment Rules, 2017.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification, level in the pay matrix.—The number of posts, its classification, level in the pay matrix attached thereto, shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc.—The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.**—Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, ex-Servicemen and other categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the pay matrix
(1)	(2)	(3)	(4)
Draughtsman	2* (2017) *Subject to variation dependent on work-load.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial	Level-4 (Rs.25500-81100).

whether selection post or non selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits
(5)	(6)	(7)
Not applicable	<p>Between 18 and 27 years.</p> <p>(relaxable for departmental candidates upto forty years in accordance with the orders of the Central Government issued from time to time).</p> <p>Note 1: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Tripura, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti district and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).</p> <p>Note 2 : In the case of post filled through employment exchange the crucial date for determining the age limit shall be in each case the date up to which the employment exchange are asked to submit the names.</p>	<p>Essential:-</p> <p>12th standard pass from a recognised Board or University.</p> <p>Diploma in Mechanical Engineering.</p> <p>Desirable:-</p> <p>Successful completion of Short-term course or training on AutoCAD or Mechanical Desktop from the Advanced Training Institute or some other recognised organisation or institute.</p> <p>Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the competent authority in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2 : The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the competent authority, for reasons to be recorded in writing in case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the competent authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>

Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct Recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(8)	(9)	(10)
Not applicable	Two years for direct recruits.	<p>By direct recruitment.</p> <p>Note: Vacancies caused by the incumbent being away on deputation or long illness or study leave or under circumstances for duration of one year or more may be filled on deputation from the officials of the Central Government holding analogous posts on a regular basis and possessing the qualifications prescribed for direct recruits under column (7).</p>

In case of recruitment by promotion or deputation or absorption, the grade from which promotion or deputation or absorption is to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is the composition?
(11)	(12)
Not applicable	Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of :- (1) Senior Administrative Officer, National Sugar Institute, Kanpur -Chairman (2) Assistant Professor of any discipline, National Sugar Institute, Kanpur. -Member (3) Technical Officer or Junior Technical Officer, National Sugar Institute, Kanpur. -Member

Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted.
(13)
Not applicable.

[F. No. A-12018/19/2016-SA]
 RAJIV MAHENDRU, Dy. Secy.